न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 123/2023 निर्णय दिनांकः 13.01.2025
ऑनलाईन नम्बर 2023/232

1. मालाराम पुत्र बेगाराम 2. हेमाराम पुत्र बेगाराम 3. भगवानाराम पुत्र बेगाराम 4. नानूराम पुत्र बेगाराम जातियान सुथार निवासीगण ईन्दपालसर बड़ा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रार्थीगण—

बनाम

1. लिछमणराम पुत्र बेगाराम जाति सुथार निवासी ईन्दपालसर बड़ा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. भरत उम्र 11 वर्ष नाबालिक जरिये संरक्षक पिता लिछमणराम पुत्र बेगाराम जाति सुथार निवासी ईन्दपालसर बड़ा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अप्रार्थीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री कैलाश सारस्वत अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री रणवीर सिंह अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से।
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एंव अप्रार्थी संख्या 1 आपस में सगे भाई है। जो कि गांव ईन्दपालसर बड़ा तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर के निवासीगण है। प्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 व अप्रार्थी संख्या 1 व प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 के भाई रेवन्तराम, शंकरलाल एंव उनके चाचा गणेशाराम पुत्र जैसाराम जाति सुथार के नाम से संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 61 रकबा 11.1300 हैक्टेयर मय गैर मुमकिन रास्ता 0.3000 हैक्टेयर कृषि भूमि रोही ग्राम ईन्दपालसर बड़ा तहसील श्रीडूंगरगढ में स्थित है। जिसमें गणेशाराम जी के नाम से 1/2 हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकार्ड दर्ज है तथा गणेशाराम जी का देहान्त हो चुका है। स्व. गणेशाराम जी अविवाहित थे। उनके कोई संतान नही थी। इस कारण वो प्रार्थीगण एंव अप्रार्थी संख्या 1 के साथ ही निवास करते थे एंव भोले भाले व्यक्ति थे। सन् 2017 से गणेशाराम जी अप्रार्थी संख्या 1 लिछमणराम के साथ निवास करने लगे एंव उनकी देखरेख में लगने वाला खर्चा प्रार्थगण व उनके भाई रेवन्तराम व शंकरलाल बराबर देते रहे तथा गणेशाराम जी कि कृषि भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थीगण एंव अप्रार्थी संख्या 1 व उनके भाई रेवन्तराम व शंकरलाल के मध्य एक परिवारिक समझौता पत्र दिनांक 28.06.2017 को गांव के मौजिज व्यक्तियों कि उपस्थिति में लिखा गया है। जिस पर सबके हस्ताक्षर/ अंगुठा निशानी है जिस पर गणेशाराम जी ने अपने हिस्सा कि कृषि भूमि सातो भतीजो में बराबर बांट दी गई थी एंव कृषि भूमि के एवज में प्रार्थीगण एंव उनके भाई रेवन्तराम व शंकरलाल ने अप्रार्थी संख्या 1 को गणेशाराम का भरण—पोषण करने हेतु 3,00,000/— रूपये अखरे तीन लाख रूपये दिये थे एंव सातो भाईयों ने खेत खसरा नम्बर 61 का पारिवारिक मौखिक विभाजन कर आपस में विभाजित कर कब्जा कायम

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.01.23 12:05:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

कर ली थी। जो आज भी मौके पर कायम है। खेत खसरा नम्बर 61 रकबा 11.1300 हैक्टेयर रोही ईन्दपालसर बड़ा में स्व. गणेशाराम जी द्वारा अपने जीवन काल मे किये गये मौखिक परित्याग एंव स्व. गणेशाराम जी अविवाहित लाऔलाद फौत होने से, प्रार्थीगण एंव अप्रार्थी संख्या 1 व उनके भाई रेवन्तराम व शंकरलाल नजदीक वारिशांन होने से प्रार्थीगण वादगत खेत खसरा नम्बर 61 में अपना 4/ 7 हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है। गणेशाराम के भोलापन एंव वृद्धा अवस्था का नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थी संख्या 1 लिछमणराम उन्हें दवाई दिलवाने के बहाने से तहसील कार्यालय लेकर आया एंव अपने नाबालिंग पुत्र गणेशाराम जी के गोदपत्र लिखवा लिया। उक्त फर्जी गोदनामा की जानकारी स्व. गणेशाराम जी को कभी नहीं रही एंव ना ही लिछमणराम को अपने फायदा के लिए गोदनामा लिखवाने का अधिकार था। क्योकि स्व. गणेशाराम जी ने पहले ही अपनी कृषि भूमि का मौखिक परित्याग समस्त भतीजो के पक्ष में कर दिया था। इस प्रकार फर्जी तरीके से करवाया गया गोदनामा शुरू से ही शुन्य है। 30 जुलाई 2003 को स्व. गणेशाराम का छः माही प्रसाद का आयोजन रखा गया एंव प्रसाद वितरण के बाद प्रार्थीगण ने समस्त भाईयों से कहा कि काका जी के पिछे सारे काम अच्छे से सम्पन्न हो गये है। अब काका जी वाली जमीन का इन्तकाल सातो भाईयो के पक्ष में दर्ज करवा लेते है क्योकि जमीन तो हमने पहले ही आपस में विभाजित कर रखी है, तब अप्रार्थी संख्या 1 ने स्पष्ट धमकी देते हुए कहा कि काकाजी वाली जमीन में आप सब को एक इंच भी भूमि नही दूंगा। क्योकि मैने मेरे पुत्र भरत के नाम से काकाजी का गोदनामा करवा रखा है एंव अब काकाजी वाल सम्पूर्ण कृषि भूमि का इन्तकाल मेरे नाबालिंक 11 वर्षीय पुत्र भरत के नाम दर्ज करवाऊंगा। जैसा कि अप्रार्थी संख्या 1 ने फर्जी गोदनामा के आधार पर स्व. गणेशाराम जी कि कृषि भूमि अपने पुत्र के नाम दर्ज करवाने कि धमकी दी है। अगर अप्रार्थी संख्या 1 अपने गलत इरादे में कामयाब हो गया तो प्रार्थीगण को अहम नुकशान व क्षतिपूर्ति कारित होना निश्चित है । इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक हो गया है कि स्व. गणेशाराम जी की कृषि भूमि बाबत कि प्रकार कोई कृत्य या अपकृत्य कारित नही करे। जिससे प्रार्थीगण के अधिकारी का हनन हो। वादगत खेतो में प्रार्थीगण के चाचा गणेशाराम द्वारा प्रार्थीगण को 4/7 हिस्सा भूमि दिये जाने के बाद उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त व उपयोग–उपभोग चले आने से प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा के संतुलन का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में है। अप्रार्थी संख्या 1 सम्पूर्ण वादगत खेत का इन्तकाल अपने पुत्र अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से दर्ज करवाना चाहता है जैसा कि उसने धमकी भी दी है अगर अप्रार्थीगण अपने उदेश्य में सफल हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्तियक क्षति होगी। इसलिए अपूर्तियक क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जावे कि खेत खसरा नम्बर 61 रकबा 11.1300 हैक्टेयर मय गैर मुमकिन रास्ता 0.3000 हैक्टेयर रोही [illegible] बड़ा तहसील श्रीडूंगरगढ में प्रार्थीगण के कब्जा कास्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी पैदा नहीं करे व वादगत खेत को किसी भी प्रकार से विक्रय, रहन या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरण नही करें व ना ही अप्रार्थीगण ऐसा कोई कृत्य या अपकृत्य कारित करे जिससे प्रार्थीगण के वैध अधिकारो पर

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.01.23 12:05:50 IST
Reason: SelfAttested

विपरित असर पड़ता हो व अप्रार्थी संख्या 3 को भी आदेशित किया जावे कि वादगत खेत के सम्बन्ध में पेश होने वाले विक्रय–पत्र या अन्य किसी भी दस्तावेज को तस्दीक न करे।

प्रार्थीगण के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई।

प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर तादावा फैसला मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखनें का निवेदन किया गया एवं अपनी बहस के समर्थन में माननीय न्यायालय रेवन्यू बोर्ड अजमेंर के न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी–14.03.2020 पृष्ठ संख्या 132 से 135 पेश की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की और से अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि प्रार्थीगण को गणेशाराम के जीवन काल से ही अप्रार्थी संख्या दो को गणेशाराम द्वारा गोद लेने व रजिस्टर्ड गोदनामा की पूर्ण जानकारी थी । अप्रार्थी संख्या 2 शुरू से ही गणेशाराम के साथ रहता था । अप्रार्थी संख्या 1 न तो प्रार्थीगण से गणेशाराम की मृत्यु के पश्चात 6 माह बाद मिला न ही किसी प्रकार की कोई बातचीत गोदनामा के सम्बंध में हुई । प्रार्थीगण ने उक्त तमाम तथ्य मामले को रंगत देने के लिए दर्ज करवाये है। जोकि पूर्णतया गलत व मिथ्या है। वर्णित तमाम तथ्य मनगढंत व सही नही होने के कारण पूर्णतया अस्वीकार है । अप्रार्थी संख्या 1 कभी प्रार्थीगण से मिला ही नही तो धमकी देने का प्रशन ही पैदा नही होता है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई स्थायी निषेधाज्ञाया प्राप्त करने का अधिकारी नही है। बल्कि यदि स्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के विरोध जारी कर दी गई तो प्रार्थीगण को अपूर्णय क्षति होगी । अप्रार्थी संख्या 2 गणेशाराम का दतक पुत्र है और उसका उक्त वादगत खेत खसरा भूमि के 1/2 हिस्सा पर कब्जा काश्त निरंतर चला आ रहा है । गोदनामा रजिस्टर्ड गोदनामा होने के कारण प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में है । यदि अप्रार्थी संख्या 2 के नाम उक्त खसरा की 1/2 हिस्सा भूमि का इंतकाल पक्ष मे नही चढा तो अपूर्णय क्षति होगी। इसलिए अपूर्तियक क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अप्रार्थी संख्या 1 के पुत्र को जो कि अप्रार्थी संख्या 2 के हैसियत से अप्रार्थी है को गणेशाराम पुत्र जैसाराम जाति सुथार निवासी इन्दपालसर बडा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर ने दिनांक 30.05.2017 को जरिये रजिस्टर्ड गोदनामा गोद लेकर अपना दतक पुत्र स्वीकार किया था तथा उक्त गणेशाराम की खेत खसरा नं. 61 तादादी 11.1300 की 1/2 हिस्सा भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का कब्जा काश्त गणेशाराम के जीवनकाल से ही शान्ति पूर्वक चला आ रहा है। प्रार्थीगण को उक्त दिनांक 30.05.2017 के रजिस्टर्ड गोदनामा के बारे में शुरू से जानकारी रही है। इस सम्बन्ध में प्रार्थीगण ने उक्त गोदनामा को खारिज या शून्य घोषित करवाने बाबत भारत के किसी भी सिविल [illegible] आज दिनांक तक प्रस्तुत नही किया है। उक्त गोदनामा गणेशाराम ने अपनी [illegible] इच्छा से करवाया था। प्रार्थीगण की मंशा उक्त वादगत खसरे की भूमि [illegible] संख्या 2 को बेदखल करने की है। यदि प्रार्थीगण अपने उक्त कुकृत्य मे सफल हो गये तो अप्रार्थी संख्या 2 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.01.23 12:45:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

अपूर्णय क्षति होगी । उक्त दावा प्रकरण में प्रार्थी संख्या 4 ने दिनांक 29.06.2024 को एक प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान् के समक्ष इस आसे से पेश किया कि प्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 ने मुझे मुगालते में रखते हुये धोखे से मेरे अगूंठा निशानी/हस्ताक्षर लेकर उक्त दावा बिना मेरी सहमति व जानकारी के प्रस्तुत कर दिया है। जोकि सरासर गलत है तथा मे अपनी हद तक उक्त प्रस्तुत किये गये दावे को विड्रा करना चाहता हूं। जिसपर न्यायालय श्रीमान द्वारा प्रार्थी संख्या 4 को उसकी हद तक दावा विड्रो करने की अनुमति न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 29.06.2024 जरिये लिखित आदेशिका प्रदान की गई। दिनांक 29.06.2024 के उक्त आदेश के बाद प्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा प्रार्थीगण संख्या 4 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में बतौर प्रार्थी हटने के पश्चात प्रार्थी संख्या 4 को उक्त पत्रावली में कही भी पक्षकार संयोजित करने बाबत किसी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया। जबकि उक्त वादगत खसरे में प्रार्थी संख्या 4 रिकार्डेड खातेदार है। पक्षकारों के कुसंयोजन से कानूनी रूप से उक्त प्रार्थना पत्र दूषित हो गया है। इसलिए प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है काबिले खारिज है। एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का अवलोकन किया। संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नंबर 61 रकबा 11.1300 हैक्टेयर मय गैर मुमकिन रास्ता 0.3000 हैक्टेयर रोही ईन्दपालसर तहसील श्रीडूंगरगढ की भूमि में वादीगण/ प्रार्थीगण का 1/4 एवं उनके चाचा का 1/2 हिस्सा सहखातेदार मुताबिक राजस्व रिकार्ड दर्ज है एवं गणेशाराम लाऔलाद फौत हो चुके है। विवादित भूमि पैतृक कृषि भूमि है। जिसका निर्धारण मूलवाद में किया जाना है, दौराने वाद यदि कोटीनेन्सी की अराजी को किसी पक्षकार द्वारा खुर्द बुर्द कर दिया जाता है तो पक्षकारों के मध्य वाद बाहुल्यता बढेगी। अन्तरिम आदेश यदि पारित नहीं किया गया तो वाद बाहुल्यता की संभावना है। प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में बनना साबित होता है। लिहाजा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। उभयपक्षकारान तादावा फैसला मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखें।

आदेश आज दिनांक 13.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.01.23 12:05:50 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ